अभिव्यक्ति

चतुर्थ अंक

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

मिनीरत्न श्रेणी- I, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
16वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001
वेबसाइट : www.spmcil.com
सीआईएन : U22213DL2006GOI144763
फोन : +91-11-2370122, 43582200 I फैक्स : +91-11-2370122

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम 2) के द्वारा दिनांक 28.08.2023 को आयोजित छमाही बैठक में एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय को राजभाषा उत्सव के लिए तथा कार्यालय की गृह पत्रिका **"अभिव्यक्ति"** के लिए पुरस्कृत किया गया।

श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी एसपीएमसीआईएल को पीएसयू के सीएफओ पुरस्कार गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया।

अभिव्यक्ति

चतुर्थ अंक- 2023
गृह पत्रिका

संरक्षक
श्री बी.जे. गुप्ता
मुख्य महाप्रबन्धक (मा.सं.)

संपादक
श्री नरेश कुमार
उप प्रबन्धक (रा.भा.)

संकलनकर्ता
श्री अनुराग शर्मा
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
श्रीमती रश्मि कौशिक
वरिष्ठ कार्यालय सहायक (रा.भा.)

''पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी विचार हैं। रचना की मौलिकता और अन्य किसी विवाद के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होंगे।''

आजादी का अमृत महोत्सव

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
01	संदेश	02–04
02	संरक्षक की कलम से	05
03	संपादकीय	06
04	लेखांकन प्रणाली	07
05	कार्य नैतिकता	08–10
06	सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारतीय और	11
	परिचमी संस्कृति का विलय	12
07	माँ	13
08	स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी	13
09	सफलता	14
10	धरती पर स्वर्ग कहाँ है।	14
11	एसपीएमसीआईएल कॉर्पोरेट सामाजिक अनुपालन	15–16
12	भर्ती का तुलनात्मक विश्लेषण	17
13	जी–20 भारत का दौर	18–19
14	विश्व हिन्दी सम्मेलन	20–22
15	जीवन में अच्छे और बुरे लोगों की परख	23
16	मनहूस या वरदान	24–25
17	दूसरी ओर की घास कितनी हरी	26
18	स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका	27–30
19	समाज में पुलिस की भूमिका और महत्व	31–33
20	हमारा गौरव – स्मारक सिक्कें	34–35
21	विविध गतिविधियां	36–43
22	एक्सएल – शॉर्टकट की	44
23	राजभाषा उत्सव	आवरण पृष्ठ

सुनील कुमार सिन्हा
Sunil Kumar Sinha
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
Chairman and Managing Director

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
मिनीरत्न श्रेणी– I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

संदेश

प्रिय साथियों,

''उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः'' मानव जीवन में सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं है। इसी प्रकार संगठन में भी संपूर्ण कार्य बल जब एक टीम के रूप में एकजुट होकर अपनी मेहनत के बल पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, तो संगठन का उत्थान अवश्यम्भावी है।

"अभिव्यक्ति" के माध्यम से अपनी बात रखने का मुझे सुअवसर मिला है। आपकी कंपनी की सभी गौरवशाली इकाइयां और उनका अपने क्षेत्र में सदियों का कार्यानुभव एसपीएमसीआईएल को एक विश्व स्तरीय संगठन बनाने के लिए पर्याप्त है। आप यह भी जानते हैं कि एसपीएमसीआईएल सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के निगमीकरण का एक सफल उदाहरण है। वर्तमान में कंपनी के परंपरागत व्यवसाय की चुनौतियां हम सबके सामने विकराल रूप में मौजूद हैं। वरिष्ठ प्रबंधन अपने स्तर पर सभी इकाइयों में बेहतर से बेहतर कार्य परिवेश तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए व्यवसाय में विविधीकरण, मशीनों के आधुनिकीकरण, कारखाना परिसर एवं आवासीय कालोनी के नियमित रख–रखाव के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं।

एक संगठन के प्रमुख होने के नाते मेरा दायित्व है कि अपने सभी हित धारकों के हितों का संरक्षण करते हुए संपूर्ण एसपीएमसीआईएल में एक ऐसा कार्योन्मुख वातावरण निर्मित हों जिसमें प्रत्येक स्तर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण सत्यनिष्ठा से निष्पादित किया जाए।

विगत वर्षों में कंपनी में राजभाषा के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर प्रगति देखने को मिली है जिनमें इकाइयों को राजभाषा के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन, संसदीय राजभाषा समिति के हाल ही में संपन्न निरीक्षणों में श्रेष्ठ प्रदर्शन आदि उल्लेखनीय हैं। इसके साथ–साथ कर्मचारियों में भी हिन्दी के प्रति रुचि बनी है।

मैं पत्रिका के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव अपना शत–प्रतिशत देने का लक्ष्य रखें और उसी की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार सिन्हा)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

16वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001
फोन. / Tel.:+91-11-2370122, 43582200 फैक्स. / Fax.: +91-11-2370122
ई–मेल/ Email: cmd@spmcil.com, वेब./ web.: : www.spmcil.com
CIN : U22213DL2006GOI144763

अजय अग्रवाल
AJAY AGARWAL
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
मिनीरत्न श्रेणी- I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

संदेश

यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि निगम कार्यालय की गृह पत्रिका **"अभिव्यक्ति"** के चतुर्थ अंक का शीघ्र ही प्रकाशन किया जा रहा है। यह राजभाषा के प्रचार – प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विदित रहे कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसका प्रमुख कारण था हिन्दी भाषा भारत के एक बड़े जन समुदाय द्वारा पढ़ी, बोली तथा समझी जाती थी। हिन्दी वैसे भी एक अत्यंत सरल, समृद्ध एवं सशक्त भाषा है और भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय में विगत समय में राजभाषा के प्रयोग को लेकर सभी स्तर पर किए गए प्रयास सराहनीय हैं। इनसे कार्यालय में हिन्दी के प्रति एक स्वीकार्यता का वातावरण निर्मित हुआ है। विशेष रूप से वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर हिन्दी में कार्य करने की पहल का नीचे के स्तर पर भी व्यापक असर देखने को मिला है।

हम सभी जानते हैं कि सामूहिक प्रयास के द्वारा प्रत्येक असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। निगम के संदर्भ में यह अनुभव हुआ है कि जिस क्षेत्र में भी एक टीम भावना के साथ कार्य किया गया, वह कार्य सदैव फलदायी रहा है और परिणाम भी अनुकूल रहे हैं। "अभिव्यक्ति" के माध्यम से मैं कंपनी के प्रत्येक कार्मिक से यह आग्रह करता हूं कि अपने संगठन के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी टीम भावना के साथ समर्पित होकर कार्य करें।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादन टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

अजय अग्रवाल

(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

16वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001
फोन. / Tel.:+91-11-2370122, 43582200 फैक्स. / Fax.: +91-11-2370122
ई-मेल/ Email: cmd@spmcil.com, वेब./ web.: : www.spmcil.com
CIN : U22213DL2006GOI144763

विनय कुमार सिंह, भा.रा.से
Vinay K. Singh, I.R.S.
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

सत्यमेव जयते

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Under Ministry of Finance, Govt. of India)

संदेश

यह बड़े ही गौरव की बात है कि निगम कार्यालय की गृह पत्रिका **"अभिव्यक्ति"** के चतुर्थ अंक का प्रकाशन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जा रहा है। एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय में राजभाषा कार्यों में इस प्रकार का निष्पादन वास्तव में प्रशंसनीय है। मेरे लिए यह एक सुखद अनुभव रहा कि सतर्कता विभाग में मेरे कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व से ही अधिकांश कार्य हिन्दी में निष्पादित किए जा रहे हैं। इन कार्यों में कार्यालय कार्य की उद्देश्य पूर्ति के साथ–साथ विषय की स्पष्टता को भी सरलता से प्रकट किया जाता है। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, पत्र व्यवहार के मानक रूपों का उपयोग कर यह कार्य निरंतर सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा रहा है।

यह सोच सही नहीं है कि राजभाषा हिन्दी, मात्र अंग्रेजी के अनुवाद की भाषा है। सही सोच यह है कि मूल कार्य हिन्दी में हों, क्योंकि यह जनता की भाषा है। जनता के सशक्तीकरण हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का हिन्दी में प्रयोग बेहद आवश्यक है। अक्सर सरल हिन्दी की बात होती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यावहारिक, बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही कार्यालय के कार्य में किया जाए। इसके लिए अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित व आसानी से स्वीकार्य शब्दों का प्रयोग भी सर्वथा उचित रहेगा।

कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही "अभिव्यक्ति" के माध्यम से एसपीएमसीआईएल में कार्यरत कर्मियों को अपनी प्रतिभा को प्रकट करने एवं विचारों के आदान–प्रदान का अवसर भी प्राप्त होता है।

मुझे विश्वास है कि इस अंक में प्रकाशित सभी प्रकार के लेख, कहानी, कविताएँ आदि पाठकों को हिंदी भाषा की ओर आकर्षित करने में सहायक होंगे। पत्रिका के संपादक मंडल एवं लेखकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

(विनय कुमार सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

16वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001
फोन. / Tel.:+91-11-2370122, 43582200 फैक्स. / Fax.: +91-11-2370122
ई–मेल/ Email: cmd@spmcil.com, वेब./ web.: : www.spmcil.com
CIN : U22213DL2006GOI144763

बी. जे. गुप्ता
B. J. GUPTA
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Chief General Manager (Human Resource)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
(Wholly owned by Government of India)

संरक्षक की कलम से

मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि एसपीएमसीआईएल की राजभाषा गृह पत्रिका **"अभिव्यक्ति"** का चतुर्थ अंक प्रकाशित किया जा रहा है। कंपनी के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था।

हम अपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार को लेकर पूर्णतः सजग हैं। यह हम सभी का संवैधानिक दायित्व भी है। राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पत्रिका में अधिकारियों/कर्मचारियों के अपने कार्यक्षेत्र संबंधी जानकारी एवं उनके विचारों को समाहित किया गया है।

कंपनी में संघ की राजभाषा नीति का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकारी इकाइयों के निगमीकरण के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में नई भर्ती किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य करने के लिए उन्हें निरंतर प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया जा रहा है। कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने के लिए हिन्दी के विभिन्न ई–टूल्स का उपयोग बखूबी ढंग से विशेषकर ई ऑफिस में छोटी–छोटी टिप्पणियों का प्रयोग बड़ी सरलता से किया जा रहा है।

"अभिव्यक्ति" के निरंतर एवं सफल प्रकाशन में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का मार्गदर्शन सदैव रहा है एवं सभी कार्मिकों के सकारात्मक योगदान से ही यह कार्य फलीभूत हो रहा है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका के इस नए अंक की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

बि जे गुप्ता
(बी.जे. गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

16वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001
फोन. / Tel.:+91-11-2370122, 43582200 फैक्स. / Fax.: +91-11-2370122
ई–मेल/ Email: cmd@spmcil.com, वेब./ web.: : www.spmcil.com
CIN : U22213DL2006GOI144763

संपादकीय

एसपीएमसीआईएल की गृह पत्रिका **"अभिव्यक्ति"** के चतुर्थ अंक को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे पूर्ण उत्साह की अनुभूति हो रही है। उत्साह इसलिए भी कि कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों, निर्णयों, गतिविधियों के साथ–साथ राजभाषा में भी श्रेष्ठ करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राजभाषा के प्रति ऐसे सकारात्मक वातावरण में राजभाषा सेवी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि निगम कार्यालय तथा इसकी सभी अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का अनुपालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जाए।

निःसंदेह हमारी सभी इकाइयां राजभाषा के क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं। परिणामस्वरूप उन्हें भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के स्तर पर तथा अपने क्षेत्र विशेष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर प्रति वर्ष पुरस्कृत कर सम्मानित किया जा रहा है।

राजभाषा पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य संस्थान के सभी कर्मियों में राजभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उनकी अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से कार्यालय कार्य अथवा उनकी वैचारिक क्षमता के सदुपयोग से हिन्दी लेखन के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा सभी विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में एक दूसरे को आदान–प्रदान करने का भी प्रयास है।

"अभिव्यक्ति" के इस अंक में दी गई जानकारी का केन्द्र बिन्दु उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति रहेगा। इस संबंध में आपकी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपके द्वारा भेजे गए विचारों/सुझावों के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेंगी तथा आपके व हमारे मध्य विचार संप्रेषण का माध्यम बनेंगी।

नरेश कुमार,
उप प्रबंधक (राजभाषा)

लेखांकन (Accounting) की नकद प्रणाली (Cash System) और उपार्जन प्रणाली (Accrual System) में अंतर- आइए सरल भाषा में समझें

हम अक्सर लेखांकन की नकदी प्रणाली (Cash System) और लेखांकन की उपार्जन प्रणाली (Accrual System) के बारे में सुनते हैं। हम में से बहुत से लोग जानते होंगे कि भारत सरकार के खाते लेखांकन की नकदी प्रणाली (Cash System) के आधार पर तैयार किए जाते हैं और एसपीएमसीआईएल जैसी कंपनियों के खाते लेखांकन की उपार्जन प्रणाली (Accrual System) का पालन करके तैयार किए जाते हैं। प्रश्न यह है कि लेखांकन की इन दो प्रणालियों के बीच 'क्या अंतर है'? लेखांकन की नकद प्रणाली (Cash System) में, आय और व्यय को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब इन्हें नकद में भुगतान या प्राप्त किया जाता है। लेखांकन की उपार्जन प्रणाली (**Accrual System**) में, आय और व्यय को तभी मान्यता दी जाती है जब ये अर्जित किए जाते हैं अर्थात वास्तविक नकदी प्रवाह/बहिर्वाह की अनदेखी की जाती है। आइए एक आसान उदाहरण के साथ समझते हैं:

मान लीजिए कि Mr-X की आय और व्यय का विवरण निम्नलिखित है।

क. बिक्री Rs.10,000/–
ख. खरीद Rs. 5,000/–
ग. अन्यखर्चे Rs. 2,000/–
घ. किराया Rs. 5,00/– (नकद भुगतान नहीं किया गया)

अब, लेखांकन की उपार्जन प्रणाली (Accrual System) के अनुसार Mr-X द्वारा अर्जित लाभ की राशि क्या है इसकी गणना निम्नानुसार की जा सकती है: लाभ = बिक्री– खरीद– अन्य व्यय– किराया = रुपये 2500/–अब, लेखांकन की नकद प्रणाली (Cash System) के अनुसार Mr-X द्वारा अर्जित लाभ की राशि क्या है?

इसकी गणना निम्नानुसार की जा सकती है: लाभ = बिक्री खरीद अन्य व्यय = रुपये 3,000/–यह ध्यान दिया जा सकता है कि नकद प्रणाली (Cash System) में किराए की कटौती नहीं की गई है क्योंकि इसका नकद भुगतान नहीं किया गया है।

प्रवीण गुप्ता,
संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

कार्य नैतिकता

कार्य नैतिकता (Work ethics) क्या है? सरल शब्दों में कहें तो "कार्य नैतिकता, नैतिक सिद्धांतों या मूल्यों का एक समूह है जिसका एक कर्मचारी अपनी नौकरी के प्रदर्शन में पालन करता है और उपयोग करता है"। यह एक कर्मचारी के व्यवहार और उनकी नौकरी, कैरियर और कार्यस्थल के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। कार्य नैतिकता किसी व्यक्ति/कर्मचारी की उत्पादकता और सफलता से संबंधित है। कार्यस्थल में कार्य नैतिकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे नौकरी की गुणवत्ता या आउटपुट को प्रभावित करती है। जब किसी व्यक्ति के मन में कार्य और कार्यस्थल के प्रति सम्मान होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक उत्पादक बन जाता है। एक मजबूत कार्य नैतिकता के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं–

1. सही कार्य वातावरण – अव्यवस्था मुक्त कार्य वातावरण विचारों और उनकी स्पष्टता के लिए एक द्वार है। यह एक मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि हमारा भौतिक वातावरण सीधे हमारे मानसिक हित और उत्पादकता से जुड़ा होता है। यह सुनिश्चित करना प्रबंधन का दायित्व होता है कि कर्मचारी स्वस्थ वातावरण में हों और सुरक्षित महसूस करते हों। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की कार्य कुशलता में प्रभावपूर्णता और निपुणता कार्य नैतिकता को बढ़ावा देती है।

2. उचित सलाह – प्रबंधकों को संगठन के कार्य नैतिकता और आचार संहिता के बारे में स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, अपने कर्मचारियों को तैयार करने के लिए अच्छे परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है। प्रबंधन को एक शिक्षक / संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और हर कदम पर कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर कर्मचारियों के कंपनी के शुरुआती दिनों में। प्रबंधकों के रूप में, आपको उन्हें सलाह देने के लिए तरीकों या दृष्टिकोणों के संयोजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। अच्छी तरह से संरचित प्रस्तुतियों, आकर्षक ग्राफिक्स या वीडियो का उपयोग करके निर्देशों या नीतियों/पाठों को दिलचस्प बनाने का प्रयास करें।

3. अनुशासन – अनुशासन कार्य–नैतिकता के मुख्य तत्त्वों में से एक है, और प्रबंधन को इस पहलू के बारे में विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जब अनुशासन, कंपनी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, तो यह सभी कर्मचारियों के साथ–साथ कंपनी को आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। आत्म–अनुशासन की संस्कृति पैदा करके, नियोक्ता/प्रबंधन अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं का सकारात्मक अवलोकन कर सकते हैं। किसी भी संस्था में अनुशासन, समय की पाबंदी से शुरू होता है। प्रबंधक संगठन में समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दे सकते हैं। अनुशासन, कार्यस्थल की गरिमा बनाए रखने में मदद करता है। अनुशासन, टीम के सदस्यों को संगठन के वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में कुशलता से काम करने में भी मदद करता है।

4. व्यावसायिकता – एक पेशेवर व्यक्ति हर कार्यक्षेत्र में गुणवत्ता प्रदर्शित करता है। व्यावसायिकता हमेशा विश्वास, आचरण, वफादारी, अनुशासन और उत्कृष्टता की भूख से शुरू होती है। कार्य नैतिकता वाले कर्मचारी पूरे दिल से और पूर्ण लगन से कार्य लेते और देते हैं और जिस भी स्थिति में होते हैं, उसमें उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हैं। वे हमेशा अपने आचरण और कार्य के प्रति नो–नॉनसेंस रवैये के लिए सम्मान प्राप्त करते हैं।

किसी भी संस्थान में प्रबंधक निम्नलिखित प्रयासों से व्यावसायिकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं:–

- अपने शब्द और विश्वास का पालन करना.
- उत्कृष्टता के लिए प्रयास.
- सम्मानजनक, ईमानदार और पारदर्शी होना.
- ईमानदारी के साथ कार्य करना.
- सीखने का रवैया बनाए रखना.

5. एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना – यदि अपनी टीम के बीच अच्छी कार्य नैतिकता पैदा करना चाहते हैं, तो प्रबंधकों को आगे रहकर/सामने से नेतृत्व करना चाहिए। जब तक आप (या प्रबंधकीय स्तर के लोग) अपनी टीम के लिए बेंचमार्क सेट नहीं करते हैं, तब तक अच्छे परिणाम देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक संगठनात्मक आचार संहिता और नैतिकता का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसका पालन करें। जब प्रबंधक अपनी टीमों को प्रेरित करते हैं या उनका नेतृत्व करते हैं, तो उन्हें हमेशा यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उन्होंने एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है।

6. लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करना – कई बार यह पाया गया है कि कर्मचारियों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों के बिना प्रदत्त कार्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कर्मचारियों की कार्य नैतिकता भी तब ही मजबूत होती है जब वे अपने द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट और जागरूक होते हैं। टीम के नेताओं या प्रबंधकों को नए कार्य शुरू करने से पहले लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से अपनी टीम को समझाना चाहिए। प्रतिभा और कार्य अनुभव के बावजूद, कर्मचारियों को दिशा की आवश्यकता होती है। अतः यह जरूरी है कि कर्मचारी को स्पष्ट, लक्ष्य और उद्देश्य मालूम हो।

7. कर्मचारियों की जरूरतों को समझें – यदि आप अत्यधिक प्रेरित कार्यस्थल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों की जरूरतों को स्वीकार करना होगा। कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा होने पर उच्च स्तर की व्यस्तता और प्रतिबद्धता दिखाते हैं। वे अतिरिक्त प्रेरित महसूस करते हैं और संगठन के लक्ष्यों और दृष्टि के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। स्वायत्तता कर्मचारियों को एक आत्म–दिशा देती है। महारत उन्हें अपने कौशल में विश्वास दिलाती है और उद्देश्य की भावना उनके कार्य को उनके लिए सार्थक बनाती है। आज के परिदृश्य में देखें तो कर्मचारियों की आवश्यकता अलग–अलग है। अतीत में जो तरीके/कार्य प्रणाली कारगर थी वह आज के समय में कार्य नहीं कर सकती है। कार्य के रुझान बदल रहे हैं, और कर्मचारियों की जरूरतें भी बदल रही हैं। उदाहरण के लिए, कामकाजी माता–पिता व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कार्य प्रणाली आदि में लचीलेपन की उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही, एक फ्रेशर अपने कौशल में सुधार के लिए अधिक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की तलाश करता है। और ये सभी सीधे उस कार्य को प्रभावित करते हैं जो वे करते हैं। अतः कर्मचारियों की जरूरतों को समझकर नीतियों/गाइडलाइन्स /पॉलिसी में समय–समय पर बदलाव होना चाहिए।

8. निरंतर प्रति पुष्टि की संस्कृति – प्रति पुष्टि, कार्यस्थल संचार चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, और इसलिए, निरंतर प्रति पुष्टि अच्छे कार्य नैतिकता के साथ एक अच्छे वातावरण को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निरंतर सुधार के लिए एक सभ्य कंपनी संस्कृति बनाने के लिए किसी भी संगठन के लिए ईमानदार और रचनात्मक प्रति पुष्टि आवश्यक है जिसमें खुली चर्चा, पारदर्शी कार्य संस्कृति, सुझाव, और विचारों और सूचनाओं के कठोर आदान– प्रदान की सुविधा प्रदान करना शामिल है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से नवीनतम और सर्वोत्तम रुझानों के साथ संगठन के मानदंडों को समय–समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

9. मान्यता और पहचान दें –प्रबंधन कर्मचारियों के बीच एक अच्छी कार्य नैतिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और पहलू जो प्रबंधक इस समीकरण में उपयोग कर सकते हैं, वो है अच्छे कार्य नैतिकता को प्रदर्शित करने के लिए लोगों को पुरस्कृत करना है। पुरस्कार मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कोई भी हो सकता है।

ज्ञान प्रकाश
संयुक्त महाप्रबंधक (मा.सं.)

हिन्दी में प्रवीणता

यदि किसी कर्मचारी ने –

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कीर ली है: या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो: या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिनै में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

(1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने –

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है: या

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है: या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है:

" सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का विलय "

भारत एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जो सदियों से विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पश्चिमी संस्कृति का रहा है, जिसने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे कला, संगीत, साहित्य, व्यंजन, शिक्षा आदि में कई बदलाव किए हैं। पश्चिमी संस्कृति का भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं।

भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के संलयन के सकारात्मक प्रभावों में से एक प्रमुख तथ्य यह है कि यह लोगों और समाजों के बीच रचनात्मकता, नवीनता, विविधता और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है। लोगों को विभिन्न विचारों, मूल्यों, शैलियों और अभिव्यक्तियों से अवगत कराकर, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का संलयन उनकी कल्पना, जिज्ञासा और समस्या को सुलझाने के कौशल को उत्तेजित कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संगीत ने रॉक, पॉप, जैज इत्यादि जैसे पश्चिमी शैलियों के तत्त्वों को शामिल किया है, जिससे फ़्यूज़न संगीत के नए रूपों का निर्माण हुआ है जो वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करता है। इसी तरह, पश्चिमी साहित्य भारतीय विषयों, कहानियों और दर्शन से प्रभावित रहा है, जिसने साहित्यिक कैनन को विविध दृष्टिकोणों और अंतर्दृष्टि से समृद्ध किया है।

भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का विलय भी विविधता और बहुलवाद के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि लोग विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बीच समानता और अंतर की सराहना करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, योग, ध्यान, आयुर्वेद, आदि, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं, पश्चिम में शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाने के तरीकों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। इसके विपरीत, लोकतंत्र, मानवाधिकार, लैंगिक समानता आदि जैसी पश्चिमी अवधारणाओं ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास को प्रभावित किया है।

भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के संलयन का एक और सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और वैश्विक एकीकरण में योगदान दे सकता है। दोनों संस्कृतियों की ताकत और संसाधनों को मिलाकर, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के विलय से व्यापार, निवेश, शिक्षा, पर्यटन आदि के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, जिससे भारत और पश्चिम दोनों को फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, बॉलीवुड फिल्में, जो भारतीय और पश्चिमी सिनेमाई तत्त्वों का मिश्रण हैं, एक आकर्षक उद्योग बन गया है जो दोनों देशों के लिए राजस्व और रोजगार पैदा करता है। इसी तरह, भारत का आईटी उद्योग, जो पश्चिमी प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित है, सॉफ्टवेयर सेवाएं और समाधान प्रदान करने में एक वैश्विक नेता बन गया है। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का विलय भी सामाजिक गतिशीलता, सशक्तीकरण और विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के लिए समावेश की सुविधा प्रदान कर सकता है, जो अन्यथा भेदभाव या हाशिए पर रहने का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी नारीवाद और सक्रियतावाद के प्रभाव के कारण भारत में महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल आदि तक अधिक पहुंच प्राप्त की है। इसी प्रकार, विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों आदि के लोग पश्चिमी धर्म निरपेक्षता और उदारवाद के प्रभाव के कारण अधिक स्वतंत्र रूप से बातचीत और सहयोग करने में सक्षम हुए हैं।

हालाँकि, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के संलयन का भारत और पश्चिम में सामाजिक– आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक प्रभावों में से एक यह है कि यह लोगों और समाजों के बीच संघर्ष, असमानता, पहचान संकट और सांस्कृतिक क्षरण पैदा कर सकता है। दोनों संस्कृतियों के स्थापित मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं को चुनौती देकर, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का संलयन विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच तनाव, आक्रोश और गलतफहमी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत और पश्चिम दोनों में कुछ रूढ़िवादी या कट्टरपंथी तत्त्व दूसरी संस्कृति के प्रभाव को अपनी पहचान, स्वायत्तता या संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए विरोध या अस्वीकार कर सकते हैं। इसी तरह, भारत और पश्चिम दोनों में कुछ प्रमुख या विशेषाधिकार प्राप्त समूह सांस्कृतिक श्रेष्ठता, आधिपत्य या आत्मसात करने के बहाने कमजोर या हाशिए पर पड़े समूहों का शोषण या दमन कर सकते हैं। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का संलयन भी दोनों संस्कृतियों की विशिष्टता, प्रामाणिकता और विविधता को नष्ट कर सकता है, क्योंकि लोग अपनी जड़ों, परंपराओं और विरासत से संपर्क खो देते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संस्कृति के कुछ पहलू, जैसे कि भाषाएँ, कला के रूप, रीति – रिवाज आदि, पश्चिमी मीडिया, शिक्षा, जीवन शैली आदि के प्रभाव के कारण कमजोर, विकृत या भुला दिए जा सकते हैं। इसके विपरीत, पश्चिमी संस्कृति के कुछ पहलू भारतीय रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रहों, एजेंडे आदि के प्रभाव के कारण इतिहास, दर्शन, नैतिकता आदि को नजरअंदाज किया जा सकता है, गलत व्याख्या की जा सकती है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

समग्र प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों संस्कृतियाँ सांस्कृतिक संलयन के फायदे और नुकसान को कितनी अच्छी तरह संतुलित कर सकती हैं। इस संतुलन को हासिल करने के कुछ तरीके हैं :

- विभिन्न सांस्कृतिक समूहों और व्यक्तियों पर थोपने, हावी होने या अलग – थलग करने के बजाय आपसी सम्मान, समझ और संवाद को बढ़ावा देना।
- सांस्कृतिक एकरूपता, अद्वैतवाद या शुद्धता को लागू करने के बजाय सांस्कृतिक विविधता, बहुलवाद और संकरता को प्रोत्साहित करना।
- उन्हें छोड़ने, अस्वीकार करने या नष्ट करने के बजाय सांस्कृतिक पहचान, प्रामाणिकता और विरासत को संरक्षित करना।
- लोगों और समाजों की बदलती जरूरतों, संदर्भों और आकांक्षाओं के अनुरूप सांस्कृतिक तत्त्वों, मूल्यों और प्रथाओं को अपनाना, न कि उनका सख्ती से पालन करना, उनकी नकल करना या उन्हें अस्वीकार करना।

अंत में, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का संलयन एक जटिल और गतिशील घटना है। यह रचनात्मकता, नवाचार, विविधता और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान –प्रदान और वैश्विक एकीकरण में योगदान दे सकता है। हालाँकि, यह लोगों और समाज के बीच संघर्ष, असमानताएँ, पहचान, संकट और सांस्कृतिक क्षरण भी पैदा कर सकता है। पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और सांस्कृतिक तत्त्वों को अपनाकर सांस्कृतिक संलयन के फायदे और नुकसान को संतुलित करने की चुनौती है।

ऐसा करने से, भारत और पश्चिम दोनों अपनी संस्कृति को खोए बिना एक–दूसरे की संस्कृति से लाभान्वित हो सकते हैं।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव,
प्रबंधक (मानव संसाधन)

माँ

माँ की गोद,
सिर्फ जगह नहीं है,
एक एहसास है,
माँ का साथ होना ही बहुत ख़ास है।

माँ का रोना,
सिर्फ आंसू नहीं,
छिपी उसमें भी खुशी की आस है,
माँ का साथ होना ही बहुत ख़ास है।

माँ का तिलक लगाना,
सिर्फ औपचारिकता नहीं,
उसमें विश्व भर की कामयाबी मिले ये अरदास है,
माँ का साथ होना ही बहुत ख़ास है।

माँ के हाथ का ख़ाना,
सिर्फ शरीर को ही नहीं लगता,
मन तक, दिल तक छुए ये उसकी प्यास है,
माँ का साथ होना ही बहुत ख़ास है।

माँ का आँचल,
सिर्फ आंसू पोंछता ही नहीं,
उसका सहलाना तो बस हिम्मत देने का एक प्रयास है,
माँ का साथ होना ही बहुत ख़ास है।

शिवांगी चंद्रा,
सहायक प्रबंधक (विधि)

स्वच्छ भारत हमारी जिम्मेदारी

गाँधी जी ने जिस स्वच्छता का, हमको पाठ पढ़ाया है,
मोदी जी ने वही पाठ, आज पुनः दोहराया है,
हमने भी है उठाया बीड़ा, भारत स्वच्छ बनाना है,
पूरे देश को साथ मिलकर, स्वच्छता अभियान चलाना है।
कूड़ा कूड़ेदान में डालें, न गलियों–सड़कों पर फैलाएँ
शौचालयों का करें प्रयोग, कभी खुले में न जाएं
भोजन से पहले और शौच के बाद, साबुन से हाथ धुलाना है,
स्वच्छता बहुत जरूरी है, सबको यह समझाना है।
नदियों को हम करें न गंदा, तालाब और पोखर साफ करें,
गंदगी अगर कोई फैलाएँ तो, उसे कभी न माफ करें,
अपने हाथ में उठाकर झाड़ू, करनी होगी हमें सफाई,
स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी, इस मूल–मंत्र का जाप करें।
हमने अपने पूर्वजों से, स्वच्छता की शिक्षा पाई है,
रसोई और मंदिर में जूते पहन, जाने की सदा मनाही है,
नहा धोकर ही बनें रसोई, वो स्वच्छता को अपनाते थे,
घर में घुसने से पहले सबके हाथ और पैर धुलाते थे।
अपनी उसी समृद्ध संस्कृति को, फिर से हमें अपनाना है,
निजी स्वच्छता का भी रख ध्यान, बीमारी दूर भगाना है।
चीजों का करें पुनः–पुनः प्रयोग, न संसाधन बर्बाद करें,
संसाधन धरती पर सीमित हैं, केवल इतना याद करें,
करनी है धरती साफ, न कहीं कूड़े के ढेर लगाना है,
स्वच्छता अभियान से जुड़कर, भारत को स्वच्छ बनाना है।
आओ शपथ लें आज के बाद, हम गंदगी नही फैलाएँगे,
हर सप्ताह 2 घंटे श्रम दानकर, धरती को साफ बनाएँगे,
न हम कूड़ा फैलाएँगे, न किसी को फैलाने देंगे,
हम सब भारतवासी मिल भारत को, गंदगी मुक्त बनाएँगे।

कैलाश चन्द अग्रवाल, सलाहकार
सचिवीय सेवा, निदेशक (वित्त)

सफलता

ना जाने कौन दे गया ये मौका मुझे,
आज फिर सफलता का रास्ता मुझे नजर आया है।
एक कदम आज फिर उस सफलता की ओर उठाने का मन मे खयाल आया है।
ना जाने क्यों जकड़ा हुआ है इन जंजीरों ने मुझे,
आज फिर इन जंजीरों को तोड़ने का खयाल आया है।
कितनी देर चल पाऊँगा उस रास्ते पर, ये सोच कर मन मेरा डगमगाया है।
लेकिन एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने का मन में खयाल आज फिर से आया है।
मैं जानता हूँ उस रास्ते पर मुश्किलें बहुत होंगी,
पर ना जाने हर मुश्किल का सामना करने का हौसला पाया है।
आज फिर न जाने एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने का मन में खयाल आया है।

हरीश कुमार,
कार्यपालक सचिव (मा.सं.)

धरती पर स्वर्ग कहाँ है

मुझे बताओ धरती पर स्वर्ग कहाँ है नर्क कहाँ है,
जख़्मों के लिए दवा बन जाए ऐसा दर्द कहाँ है

पानी गंदा हो गया है आज सारे हिंदुस्तान का,
फ़िर आब और शराब में फर्क कहाँ है

जो तेरा अपना है वो तुझे लूट नहीं रहा है,
सच – सच बता वो कमजर्फ़ कहाँ है

तू खंजर लेकर उसे तोड़ने की कोशिश लगा रहा,
ग़ौर से देख अब वो पानी है बर्फ़ कहाँ है

पढ़ने में तो खुशी मिलती तेरा हर ख़त मुझे,
जो मेरे दिल को से सकूं वो हर्फ़ कहाँ है

मेरी यादाश्त ही नहीं, तेरी याद का सूरज भी ढल चुका है,
मुझमें अब तेरे जितनी तड़प कहाँ है

शायनी
कनिष्ठ सचिव (मा.सं.)

एसपीएमसीआईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुपालन

सीएसआर न केवल कंपनी के व्यवसाय, इसके कर्मचारियों और समाज की कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को बढ़ाने का एक नैतिक तरीका है, अपितु यह निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाई विकास नीति के अंतर्गत एक अनिवार्य अनुपालन भी है। यह एक ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से कंपनियां शेयर धारकों, कर्मचारियों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए समाज को वापस दे सकती हैं।

संगठन अपनी सीएसआर पहलों को सामुदायिक विकास गतिविधियों तक विस्तारित कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा सहायता, कला को प्रोत्साहन और अन्य विविध गतिविधियाँ शामिल हैं। सामुदायिक विकास गतिविधियों के माध्यम से, संगठन न केवल बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकते हैं, बल्कि समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को एक साथ आने और नए विचारों का पता लगाने के लिए एक मंच भी प्रदान कर सकते हैं।

भारत सीएसआर को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश है। भारत में सीएसआर कानून 1 अप्रैल, 2014 से पूरी तरह से लागू हो गया। ये कानून सिर्फ भारत की कंपनीयों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि जो भी कंपनी भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियो पर भी लागू होता है। कानून के अनुसार कंपनी जिसकी नेटवर्थ रुपए 500 करोड़ या सालाना आय 1000 करोड़ या वार्षिक लाभ रुपये 5 करोड़ है, तो उस कंपनी को सीएसआर के तहत अपने 3 साल के औसत लाभ (कर पूर्व आय) का 2 प्रतिशत खर्च करना होगा।

भारत सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2021 से सीएसआर कार्यों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं जिससे सीएसआर के कार्यान्वयन में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। इन नियमों से पूर्व कंपनी ने अपने सीएसआर बजट का नियमानुसार जितना खर्च कर दिया और जो शेष बचा, वह पैसा कंपनियो के पास ही रहता था। नए प्रावधानों के अनुसार कंपनी को वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अन्दर सीएसआर के जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं उनका निर्धारित बजट बैंक में ट्रांसफर करना होगा तथा शेष राशि को 06 माह के अंदर शैड्यूल 7 में बताए गए फंड्स में जमा करना होगा। चालू कार्यों के लिए बैंक में जमा राशि को तीन वर्ष के अन्दर खर्च करना होगा। यदि इस अवधि में भी यह राशि खर्च नहीं होती है तो शेष पैसे को तीसरे वित्तीय वर्ष के बाद 30 दिन के अन्दर शैड्यूल 7 में बताए गए फंड्स में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर कंपनी तथा संबंधित सभी जिम्मेदार कर्मचारियों पर वित्तीय दंड का प्रावधान है ।

स्थानीय निकायों व राज्य सरकारों के पास अभी तक इतने संसाधन नहीं है कि वे पंक्ति के आखिर में खड़े व्यक्ति तक पहुँच सके तथा समाज के अति पिछड़े व्यक्तियों के जीवन में कोई बदलाव ला सके। ऐसे में सीएसआर ही एक आशा की किरण है जो इस मुश्किल काम को आसान कर सकता है।

कंपनियों द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2014 में सीएसआर प्रावधान लागू होने के बाद से, कंपनियों ने सात वर्षों की अवधि में लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कल्याण, विकास और अन्य 29 विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया गया। भारत में वर्ष 2014–15 में 10,065 करोड़ रुपये खर्च हुए, यह खर्च राशि गत सात वर्षों में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज करते हुए 2020– 21 में रुपये 25,715 करोड़ पर पहुँच गया

एसपीएमसीआईएल ने विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जे जे अस्पताल, मुंबई, टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई, बीवाईएल नायर अस्पताल, मुंबई को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया है। इसके अतिरिक्त नए स्कूलों का निर्माण, विद्यालयों में अतिरिक्त क्लास रूम, डिजिटल क्लास रूम, पेयजल सुविधाएं, शौचालय आदि का निर्माण कराया गया। गाँवों को गोद लेकर उनमें सर्वांगीण विकास कराया गया। उनमें सीवरेज तथा पेयजल, जल संरक्षण, कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए गए। ऐतिहासिक स्मारकों का सौंदर्यकरण एवं जन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पिछड़ा वर्ग एवं कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता, वंचित वर्ग की महिलाओं का कौशल विकास के लिए सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई। उपरोक्त कार्यों में कंपनी ने अभी तक 100 करोड़ रू. से अधिक की राशि खर्च की है।

हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सीएसआर दुनिया की सभी समस्याओं को खत्म कर देगा, लेकिन निश्चित रूप से इसमें भूख, कुपोषण और अन्य सामान्य रोजमर्रा की समस्याओं, सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्कताओं को खत्म करें, वंचित समुदायों के जीवन को बदलने की शक्ति है। शिक्षा, कौशल विकास और प्रकृति को बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनियों ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर 25,715 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

विनोद शर्मा
परामर्शदाता (सीएसआर)

भर्ती का तुलनात्मक विश्लेषणः भारत में निजी क्षेत्र बनाम सरकारी क्षेत्र

भारत में भर्ती प्रक्रिया, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। जबकि दोनों क्षेत्रों का उद्देश्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करना है, कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जो उन्हें अलग करती हैं।

निजी क्षेत्र में, भर्ती प्रथाएं आमतौर पर बाजार की गतिशीलता और संगठनात्मक आवश्यकताओं द्वारा संचालित होती हैं। उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां अक्सर जॉब पोर्टल्स, रेफरल और भर्ती एजेंसियों सहित कई तरह के तरीकों पर भरोसा करती हैं। चयन प्रक्रिया आमतौर पर कौशल, योग्यता और अनुभव पर जोर देने के साथ योग्यता पर आधारित होती है। जबकि विविधता और समावेशन की पहल प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं, निजी क्षेत्र में विशिष्ट समुदायों के लिए कोई अनिवार्य आरक्षण कोटा नहीं है।

सामाजिक न्याय और समावेशिता पर जोर देने के साथ सरकारी क्षेत्र में भर्ती एक अलग ढांचे का पालन करती है। आरक्षण सरकारी क्षेत्र की भर्ती का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और अन्य आरक्षित श्रेणियां सरकारी नौकरी के उद्घाटन में विशिष्ट कोटा प्राप्त करती हैं। यह नीति ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और सीमांत समुदायों से प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार करती है।

निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की भर्ती में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी नौकरी रिक्तियों को आमतौर पर समर्पित वेबसाइटों या समाचार पत्रों जैसे आधिकारिक प्लेटफार्मों के माध्यम से विज्ञापित किया जाता है। आरक्षण कोटा सहित विस्तृत पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। चयन प्रक्रियाओं में अक्सर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कभी–कभी समूह चर्चा या शारीरिक परीक्षण जैसे अतिरिक्त दौर शामिल होते हैं। परिणाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे उम्मीदवार अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो शिकायत कर सकते हैं।

भारत में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में भर्तियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं– जबकि निजी क्षेत्र योग्यता–आधारित चयन और बाजार–संचालित प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, सरकारी क्षेत्र ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए आरक्षण पर विशेष जोर देता है। इन अंतरों को समझने से व्यक्तियों को करियर विकल्पों को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है और संगठन अपने संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त भर्ती रणनीति तैयार कर सकते हैं।

आकांक्षा सिंघल
सहायक प्रबंधक (मा.सं.)

जी20– भारत का दौर

मध्य नवंबर में बाली शिखर सम्मेलन के अंत में जी20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) की अध्यक्षता का जो लकड़ी का हथौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया, वह भले बहुत छोटा दिखाई दे, मगर उसके साथ आने वाली जबरदस्त जिम्मेदारियां इसकी कदकाठी के मुकाबले बहुत बड़ी हैं। 1 दिसंबर को भारत ने औपचारिक रूप से जिस जी20 की जिम्मेदारी संभाली, उसके सदस्य देश दुनिया की 60 फीसद आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, वैश्विक जीडीपी में उनका 85 फीसद और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75 फीसद हिस्सा है। 1999 में शुरुआत से ही जी20 प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर और हाल में भू–राजनैतिक सरोकारों पर भी दुनिया के सबसे ताकतवर अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पर उभरा। संयोग से दिसंबर में भारत एक महीने के लिए सर्वशक्तिमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण करेगा। सितंबर, 2023 तक वह दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय मंच शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता भी करेगा। विश्व मंच पर यह वाकई भारत का लम्हा है।

मगर भारत ऐसे वक्त में इन मंचों की कमान संभाल रहा है, जब विश्व मामलों में सरगर्मी तेज है और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के शब्दों में अंग्रेजी के तीन 'सी' यानी कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) के कृशकाय कर देने वाले नतीजों से घिरे हैं। कोविड–19 महामारी ने अमीर देशों सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को रसातल में पहुंचा दिया। दुनिया अभी महामारी के भयावह प्रभावों से उबरने के लिए जूझ ही रही थी कि यूक्रेन युद्ध ने भू–राजनैतिक तनावों को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया और खाद्य तथा ऊर्जा का जबरदस्त संकट पैदा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में 20 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे और 10 करोड़ से ज्यादा लोग भारी गरीबी के शिकंजे में धकेल दिए गए। संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पाने की रफ्तार भी चिंता जनक ढंग से सुस्त हुई है और विकासशील देशों के सामने वजूद बचाए रखने के सवाल खड़े हो गए हैं। पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 70 से ज्यादा देश कर्ज के तीव्र संकट से जूझ रहे हैं और 2023 में खौफनाक वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका समूची दुनिया के आगे मुंह बाए खड़ी है। कोविड के बाद की इस विखंडित और कुछ–कुछ विश्रृंखल दुनिया में भारत को यह मौका मिला है कि वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुआई करें और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडे का चैंपियन बनकर उभरे।

जी–20 की बुनियाद–एशियाई वित्तीय संकट के दौरान 1999 में गठित जी 20 के समूह में विकसित और विकासशील देश शामिल थे। शुरू में यह वित्त मंत्रियों का मंच था, 2008 में इसे शिखर सम्मेलन का रूप दिया गया और देश प्रमुखों का प्रतिनिधित्व होने लगा।

जी20- का दायरा-

नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में 43 देशों/सरकारों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सेदारी करेंगे। जी– 20 में यह सबसे बडा जमावड़ा होगा।

विकसित सदस्य देश- अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान

विकासशील सदस्य देश- भारत, चीन, सउदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, तुर्की, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ब्राजील, रूस दिल्ली सम्मेलन में विशेष आमंत्रित बांग्लादेश, मिश्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

समूचे देश में आयोजन- उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तिरूवनंतपुरम और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में कोहिमा तक में आयोजन स्थलों को नया रूपरंग दिया जा रहा है। पर्याप्त होटल कमरों और यातायात की व्यवस्था की गई है।

भारत का इरादा इन आयोजनों का फायदा उठाकर घरेलू मैदान में अपनी वैश्विक अहमियत और वजन साबित करने का है । सितंबर, 2023 में मुख्य नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली प्रगति मैदान में सम्मेलन केंद्र को सजाया–संवारा जा रहा है । पारंपरिक रूप से शिखर सम्मेलन नवंबर में आयोजित किया जाता है क्योंकि अगला देश 1 दिसंबर को अध्यक्षता संभालता है। मगर उस महीने राजधानी में प्रदूषण बहुत अधिक होने के कारण सरकार को इसे कुछ महीने पहले आयोजित करने में समझदारी नजर आई। नए केंद्र में 7,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के बैठने की जगह होगी और जी 20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए विशेष तल होगा।

निष्कर्ष-

भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 9–10 सितंबर, 2023 तक आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 के घोषणा पत्र की प्रस्तावना – एक पृथ्वी, एक परिवार हैं और एक भविष्य है (We are One Earth, One Family, and we share One Future) वसुधैव कुटुबंकम् की भारतीय विचारधारा को दर्शाती है। जी20 शिखरवार्ता बेहद सफल मानी गई, शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र पर आयोजन के पहले ही दिन बनी आम सहमति से पता चलती है। दरअसल, नई दिल्ली घोषणापत्र जिन बिंदुओं पर केंद्रित है, उन्हें विश्व भर में समावेशी विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके मुख्य केंद्रीय मुद्दों में मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास के साथ–साथ सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, इक्कीसवीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना आदि शामिल हैं।

(अनुराग शर्मा)
व. हिन्दी अनुवादक

विश्व हिन्दी सम्मेलन- एक परिदृश्य

विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिन्दी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिन्दी प्रेमी जुटते हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रति जागरुकता पैदा करने, समय–समय पर हिन्दी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रति सरकारों को और दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिन्दी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्त्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी, 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलनों की श्रृंखला आरम्भ की गयी। इस बारे में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने पहल की थी। पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के सहयोग से नागपुर, महाराष्ट्र में सम्पन्न हुआ जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतन्त्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना विशेष सन्देश भेजा।

प्रारम्भ में इसका आयोजन हर चौथे वर्ष में किया जाता था लेकिन अब यह अन्तराल घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। अब तक 12 विश्व हिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं।

विश्व हिन्दी सम्मेलन का इतिहास

विश्व हिन्दी सम्मेलन श्रृंखलाएँ			
क्रम	तिथि	नगर	देश
1	10–14 जनवरी 1975	नागपुर	भारत
2	28–30 अगस्त 1976	पोर्ट लुई	मॉरीशस
3	28–30 अक्टूबर 1983	नई दिल्ली	भारत
4	2–4 दिसम्बर 1993	पोर्ट लुई	मॉरीशस
5	4–8 अप्रैल 1996	त्रिनिदाद–टोबैगो	त्रिनिदाद और टोबैगो
6	14–18 सितम्बर 1999	लंदन	यूनाइटेड किंगडम
7	5–9 जून 2003	पारामरिबो	सूरीनाम
8	13–15 जुलाई 2007	न्यूयार्क	संयुक्त राज्य अमेरिका
9	22–24 सितम्बर 2012	जोहांसबर्ग	दक्षिण अफ्रीका
10	10–12 सितम्बर 2015	भोपाल	भारत
11	18–20 अगस्त 2018	पोर्ट लुई	मॉरीशस
12	15–17 फरवरी 2023	नाड़ी	फिजी

पहला विश्व हिन्दी सम्मेलनः– 10 जनवरी से 14 जनवरी, 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के तत्वावधान में हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष महामहिम उपराष्ट्रपति श्री बी डी जत्ती थे। पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन का बोध वाक्य था – वसुधैव कुटुम्बकम। सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे मॉरीशस के प्रधानमन्त्री श्री शिवसागर राम गुलाम। इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दूसरा विश्व हिन्दी सम्मेलनः– मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में 26 अगस्त से 30 अगस्त, 1976 तक चले विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजक राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष, मॉरीशस के प्रधानमन्त्री डॉ० सर शिवसागर रामगुलाम थे। सम्मेलन में भारत से तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री डॉ० कर्ण सिंह के नेतृत्व में 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया। भारत के अतिरिक्त सम्मेलन में 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

तीसरा विश्व हिन्दी सम्मेलनः– भारत की राजधानी दिल्ली में 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 1983 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन के लिये बनी राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉ० बलराम जाखड़ थे। इसमें मॉरीशस से आये प्रतिनिधि मण्डल ने भी हिस्सा लिया जिसके नेता थे श्री हरीश बुधू। सम्मेलन के आयोजन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने प्रमुख भूमिका निभायी। हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुश्री महादेवी वर्मा समापन समारोह की मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था – ''भारत के सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के कामकाज की स्थिति उस रथ जैसी है जिसमें घोड़े आगे की बजाय पीछे जोत दिये गये हों।''

चौथा विश्व हिन्दी सम्मेलनः– 17 साल बाद मॉरीशस में एक बार फिर विश्व हिन्दी सम्मेलन, 2 दिसम्बर से 4 दिसम्बर, 1993 तक मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। इस बार के आयोजन का उत्तरदायित्व मॉरीशस के कला, संस्कृति, अवकाश एवं सुधार संस्थान मन्त्री श्री मुक्तश्वर चुनी ने संभाला था। इसमें भारत से गये प्रतिनिधि मण्डल के नेता थे श्री मधुकर राव चौधरी। भारत के तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री श्री रामलाल राही प्रतिनिधि मण्डल के उपनेता थे। सम्मेलन में मॉरीशस के अतिरिक्त लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

पाँचवा विश्व हिन्दी सम्मेलनः– त्रिनिदाद एवं टोबेगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में 4 अप्रैल से 8 अप्रैल, 1996 के मध्य हुआ। इसका आयोजन त्रिनिदाद की हिन्दी निधि द्वारा किया गया। सम्मेलन के प्रमुख संयोजक थे हिन्दी निधि के अध्यक्ष श्री चंका सीताराम। भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मण्डल के नेता अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद थे। सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था– प्रवासी भारतीय और हिन्दी। जिन अन्य विषयों पर इसमें ध्यान केन्द्रित किया गया, वे थे – हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, कैरेबियाई द्वीपों में हिन्दी की स्थिति एवं कम्प्यूटर युग में हिन्दी की उपयोगिता।

छठा विश्व हिन्दी सम्मेलनः– लन्दन में 14 सितम्बर से 18 सितम्बर, 1999 तक आयोजित किया गया। यू०के० हिन्दी समिति, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम, यॉर्क ने मिलजुल कर इसके लिये राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे डॉ० कृष्ण कुमार और संयोजक डॉ० पद्मेश गुप्त। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था – हिन्दी और भावी पीढ़ी। सम्मेलन में विदेश राज्यमन्त्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया। प्रतिनिधि मण्डल के उपनेता थे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ० विद्यानिवास मिश्र। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने के 50वें वर्ष में आयोजित किया गया।

सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलनः– सुदूर सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में 5 जून से 9 जून, 2003 के मध्य हुआ। इक्कीसवीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन था। सम्मेलन के आयोजक थे श्री जानकी प्रसाद सिंह और इसका केन्द्रीय विषय था – विश्व हिन्दीः नई शताब्दी की चुनौतियाँ। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व विदेश राज्य मन्त्री श्री दिग्विजय सिंह ने किया।

आठवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलनः– 13 जुलाई से 15 जुलाई, 2007 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में हुआ। इस सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था – विश्व मंच पर हिन्दी। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय द्वारा किया गया। न्यूयॉर्क में सम्मेलन के आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्था अमेरिका की हिन्दी सेवी संस्थाओं के सहयोग से भारतीय विद्या भवन ने की थी। इसके लिए एक विशेष वेबसाईट का निर्माण भी किया गया। इसे प्रभासाक्षी. कॉम के समूह सम्पादक बालेन्दु शर्मा दाधीच के नेतृत्व वाले प्रकोष्ठ (सैल) ने विकसित किया।

नौवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलनः– 22 सितम्बर से 24 सितम्बर, 2012 तक, दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहांसबर्ग में हुआ। इस सम्मेलन में 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 10वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलनः–10 से 12 सितंबर तक भोपाल में हुआ। दसवें सम्मेलन की मुख्य थीम थी – ''हिन्दी जगतः विस्तार एवं सम्भावनाएँ''।

ग्यारहवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलनः– 18–20 अगस्त, 2018 को मॉरीशस में आयोजित किया गया।

बारहवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलनः–15 से 17 फरवरी, 2023 में नाडी, फिजी के देनाराऊ द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यह आयोजन अब की बार पाँच साल बाद हो रहा है। इस साल विश्व हिंदी दिवस की थीम पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक है। फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नाडी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया।

बबीता
कार्यपालक सचिव (तकनीकी)

जीवन में अच्छे और बुरे लोगों की परख

अक्सर हम कई बार ऐसे लोगों के बीच आ जाते हैं। जहाँ हम अच्छे और बुरे लोगों में फर्क नहीं समझ पाते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना है। ऐसे में कुछ बुरे लोग हमें भी अपने जैसा बनाने की कोशिश में रहते हैं और ऐसा करके उन्हें काफी आनंद भी मिलता है।

ऐसे लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं। अब अच्छे लोगों की क्या खासीयत होती है वो जान लेते हैं। अच्छे लोग आपको आगे बढ़ने की सलाह देने के साथ–साथ आपकी प्रेरणा के स्रोत्र भी बनते हैं। कई लोग अपने जीवन स्तर में काफी सुधार कर चुके होते हैं। क्योंकि उनके साथ कुछ गतिविधियाँ थीं, जो उन्हें कुछ अच्छे लोगों से सीखने को मिली।

अपने साधनों का सही उपयोग कहाँ और कैसे करना है ये वो भलीभांति समझ सकते हैं। अक्सर कई लोग उन लोगों के बीच बैठना पसंद करते हैं जो सिर्फ उनकी झूठी तारीफ करते हैं। लेकिन आप बस एक बार उनसे अपने लिए मदद की उम्मीद करके देखिएगा। आप खुद समझ जायेंगे की वो हमारे हितैषी है या नहीं।

"नींम कड़वा जरूर होता है पर ज्यादातर बीमारियों में नीम हकीम है। कुछ लोग
नीम की तरह होते हैं। लेकिन वे ही आपके सच्चे हितैषी भी होते हैं।"

ऐसे लोगों से हमेशा आपको फायदा ही मिलता है। क्योंकि उनको जब आपकी बुराई करनी होती है तो वो आपके पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। बल्कि वो आपके सामने ही आपकी बुराई कर देंगे। उनकी बातें बिलकुल खरी होती हैं।

अब मैं बुरे लोगों की बात करूँ तो वो नकारात्मक पहलुओं को तुरंत पकड़ते हैं और जब हम उनके साथ रहना शुरू करते हैं तो हमारे अन्दर भी वो ही नकारात्मक भाव पनपने लगते हैं। हमारी सोच भी उन्ही के जैसी होने लगती है। क्योंकि एक दूसरे में घुलने–मिलने के लिए हमें भी उनके जैसा ही बनना पड़ जाता है। ये मानव की प्रकृति है कि वो नकारात्मकता की ओर जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। जिसका प्रभाव उन्हें तब दिखाई पड़ता है जब कोई उनकी आशाओं को रोंधकर उनसे आगे निकल जाता है।

कई बार तो इतनी देर हो चुकी होती है कि मुकाम हाथ से पूरी तरह निकल जाता है। जो लोग मीठा बोलते हैं आपको उनसे सतर्क रहने की जरुरत है। हो सकता है कि वो आपके हितैषी ना हों। मैं यह नहीं कहती कि सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। कुछ लोग आपकी परवाह करने वाले भी होंगे।

प्रिंसी भाटिया
पर्यवेक्षक (आर. एम.)

मनहूस या एक वरदान

लाडो उनकी बड़ी बेटी थी लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाडो के माँ–बाप पहले लड़का चाहते थे। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठा कर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी।

मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतर गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था। लाडो को कहाँ कोई पूछ रहा था।

फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अजय रखा गया था। उसका यह नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब उस पर मौत भी जीत प्राप्त न कर सकी। पाँचवां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियाँ करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भाग कर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता न था। अचानक लाडो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से ही उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वह उसे बचा कर ले आई।

ऐसी ही कुछ और घटनाएँ भी हुईं लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ–बाप ने उसकी ज्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ–बाप को पलट कर जवाब नहीं दिया था।

एक सुबह लाडो ने आँखें नहीं खोलीं। हालत ज्यादा खराब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ–बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा।

"देखिए, बुखार कई दिनों से है जिसकी वजह से शरीर में काफी कमजोरी आ गई है और खून भी काफी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा।"

डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाडो के माँ–बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर यह इल्जाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जाँच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई।

डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाडो के माँ–बाप से कहा,"आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है, जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया।"

"बीमारी.....? कौन सी बीमारी ये कल मुहीं लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी।"

डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा,

'अरे! ये कैसी बातें कर रहीं हैं आप आपको पता है यदि लाडो बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस–सी है। जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे–धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत तक हो जाती है।''

''डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी.....''

अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा,

'देखिए, अगर हेपेटाइटिस–सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है और अजय की इस बीमारी की तो अभी शुरूआत है। यदि लाडो की तबियत खराब न होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता भी न चलता। आपकी बेटी ने तो उल्टा आपके बेटे की जान बचाई है।

लाडो के माँ–बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वो अपनी गलती जानते थे लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत ना थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएँ उनकी आँखों के सामने हो रही थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाडो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया था ।

लाडो के माँ–बाप का नजरिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वे उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी लाडो का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनों ही को वह जिंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए।

यह तो इंसान की फितरत है कि वह किसी में अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखता है। परन्तु यदि हम हर चीज में अच्छाई देखना शुरु कर दें तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाए।

और हॉ, इस 'मनहूस या एक वरदान' कहानी में जिस बीमारी (हेपेटाइटिस–सी) का जिक्र किया गया है वह बीमारी भी कैंसर की तरह लाइलाज है। यदि समय रहते इसका पता चले तभी इसका इलाज संभव है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो ध्यान देने पर ही पता चलते हैं। इसलिए निरंतर जॉच द्वारा की इसका पता चलता है।

हेपेटाइटिस–सी और हेपेटाइटिस–बी दोनों ही लगभग एक जैसी बीमारी हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हेपेटाइटिस–सी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्होंने समय रहते ही इसका इलाज करवाना शुरु कर दिया था, इसलिए वे आज भी काम कर पा रहे हैं। तो फिर बेटियों को दिल से अपनाइए और साथ ही अपने शरीर के प्रति भी जागरूक रहिए।

गंगा शर्मा
कार्यपालक सहायक (मा.सं.)

दूसरी ओर की घास कितनी हरी

लगने और होने में अंतर होता है। हमें दूसरे की स्थिति अपने से बेहतर लगती है। पर, सच में ऐसा हो यह जरूरी नहीं। और कई बार वाकई दूसरों के हाल हम से बेहतर होते हैं। पर इससे आपका दुखी होना कितना सही है ?

लेखिका रिशेल ई गुडरिच लिखती है, अगर दूसरी ओर की घास ज्यादा हरी हो भी, तब भी हमें अपनी ओर रहना चाहिए। उस जमीन पर, जो हम से जुड़ी है। जिसे हम अपने तरीके से हरा–भरा बना सकते हैं। 'हमें दूसरे हमेशा अपने से बेहतर हाल में, बेहतर किस्मत वाले नजर आते हैं। हमारा स्वभाव है कि जो हमारे पास नहीं है, हमें वही अच्छा लगता है। दूसरों की जमीन हरी–भरी और अपनी जिंदगी खालीपन से भरी नजर आती है। जो अपना है, वह हमें बेकार या दूसरों की तुलना में कम अच्छा लगता है। हमारी जलन, दूसरों के संघर्षों को ढंग से देख नहीं पाती। हमें देखना खुद को चाहिए, पर हम पड़ोसियों को ही देखते रह जाते हैं।

दूसरों की स्थिती को अपने से बेहतर देखना या लगातार बेहतर की तलाश करते रहने की आदत को 'ग्रास इस ग्रीन सिंड्रोम' कहा जाता है। इसके कई पहलू हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप जलन के कारण ही ऐसा करते हैं। परफेक्शनिस्ट लोगों को भी अपने काम में केवल कमी दिखती है।

इस सिंड्रोम का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। हमें दूसरों के रिश्ते अधिक खुशहाल और अपने से बेहतर लगते हैं। इस कारण हम अपने रिश्तों में सौ प्रतिशत नहीं दे पाते। जब हम अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तब हमारा ध्यान भी अपने ही कामों को बेहतर बनाने पर रहता है। हम अपने बोए बीजों को पूरी तरह बड़े होने का समय और पोषण देते हैं। फिर हर नौकरी में चुनौतियां हैं, हर परिवार में कुछ दिक्क़तें, हर किसी की अपनी कुछ कमियां और अच्छाई हैं। हर किसी का संघर्ष है, जो बस अपनी खिड़की से खड़े होकर देखने पर छोटा नजर आता है। और हमारा यह स्वभाव हमें अपने आज को ढंग से जीने से रोक देता है।

सवाल है कि हम कैसे इस सोच से बाहर आएं ? अपनी किस्मत और कोशिशों को कोसते रहना कृतज्ञता के भाव की कमी भी दिखाता है। अपने आज से खुश न होकर लगातार आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना हमें बेचैन और उदास बनाए रखता है। इस सोच को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने सच को स्वीकार करें। जो पास है, उसकी कद्र करें। समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। हम जो कर सकते हैं, उसे करने से कभी पीछे न हटें और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता ना करें। एक बात, वह यह कि घास वहां ज्यादा हरी होती है, जहां, उसे पानी दिया जाता है।

रश्मि कौशिक
वरिष्ठ कार्यालय सहायक (राजभाषा)

स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

स्वतंत्र निदेशक– जिन्हें बाहरी निदेशक के रूप में भी जाना जाता है निदेशक मंडल के सदस्य हैं जो एक अद्वितीय और निष्पक्ष परिप्रेक्ष्य लाते हैं।

परिचय

एक कंपनी के निदेशक मंडल रणनीति और शासन के क्षेत्रों में प्रबंधन को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अपने सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में अपना व्यवसाय करती है। सार्वजनिक कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी मजबूत शासन प्रणाली के लिए अनिवार्य हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संविधियो में एक ऐसे बोर्ड ढांचे का प्रावधान है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों और बड़ी गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के लिए स्वतंत्र दोनों निदेशकों का इष्टतम मिश्रण हो। व्यवसाय के कॉर्पोरेट रूप में विविध हितधारक हैं जैसे शेयर धारक, लेनदार, बैंक/वित्तीय संस्थान, विक्रेता, ग्राहक, सरकार, कर्मचारी, समुदाय और पर्यावरण। पारिस्थितिकी तंत्र का कामकाज इस बात पर निर्भर करता है कि इन हितधारकों के हितों को कितनी अच्छी तरह एकीकृत और सहज बनाया जाता हैं।

हितधारकों को स्वतंत्र निदेशकों से उम्मीदें

एक कॉर्पोरेट इकाई में कई हितधारक होते हैं। किसी विशेष हितधारक के प्रति निष्ठा के बिना स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी के सर्वोत्तम हित में काम करने की उम्मीद की जाती है, जिससे सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जा सके । विभिन्न हितधारकों की स्वतंत्र निदेशकों से उम्मीदों का विश्लेषण निम्नानुसार है।

(i) निवेशक / शेयर धारकः स्वतंत्र निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रबंधन से स्वतंत्र हों और शेयर धारकों के न्यासी के रूप में कार्य करें, हालांकि यह कहना उचित है कि यह विशेषता सभी निदेशकों पर लागू होती है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें बोर्ड/समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, अल्पसंख्यक शेयर धारकों के दृष्टिकोण से प्रस्तावों का मूल्यांकन करना चाहिए, वर्तमान सूचना प्रवाह की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना चाहिए।

(ii) विनियामकः विनियामक अपेक्षा करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों को लागू कानूनों/ विनियमों के अनुपालन को संस्थागत बनाना चाहिए और कंपनी द्वारा समय पर और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी गैर–अनुपालन पर चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा, नियामक स्वतंत्र निदेशकों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे किसी भी मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाएँ जो कंपनी और उसके हितधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यदि शासन संबंधी कुछ मुद्दे हैं, तो उन्हें बोर्ड की बैठकों में उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो नियामकों को सूचित किया जाना चाहिए।

(iii) निदेशक मंडल/प्रवर्तकः बोर्ड अपेक्षा करता है कि स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में विचार–विमर्श के दौरान मूल्यवर्धन करना चाहिए और बोर्ड/समितियों के समक्ष रखे गए विभिन्न प्रस्तावों के मूल्यांकन में निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। उन्हें विशेष रूप से उन मामलों को देखना चाहिए जो अल्पसंख्यक शेयर धारकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, और सभी हितधारकों के समग्र हित में हैं।

(iv) बैंक और वित्तीय संस्थाः बैंक और वित्तीय संस्थान कंपनियों के प्रमुख हितधारकों में से एक हैं क्योंकि उन्होंने कंपनियों में सार्वजनिक धन का निवेश किया है। ये संस्थान अपेक्षा करते हैं कि स्वतंत्र निदेशक इस तरीके से काम करेंगे जो यह सुनिश्चित करता है कि उनका निवेश उस पर अपेक्षित रिटर्न के साथ सुरक्षित रहे।

(vi) कर्मचारीः कर्मचारी अपेक्षा करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों के रूप में शामिल किया जाए। कोई भी संगठन तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक कि मानव संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया जाता है और उन्हें उचित महत्व नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार और वैधानिक बकाया सहित उनके पारिश्रमिक और लाभों का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति, जिसमें अधिकांश स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, को किसी कंपनी में व्हिसल ब्लोअर तंत्र की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि यह तंत्र सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है, इसका उपयोग मुख्य रूप से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रक्रियाओं और लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है जो धोखाधड़ी या दुरुपयोग की प्रकृति में हैं। कर्मचारियों को बिना किसी उत्पीड़न के व्हिसल ब्लोअर शिकायतों की वास्तविक रिपोर्टिंग के बारे में आश्वस्त महसूस करना चाहिए। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के तंत्र में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच का प्रावधान है।

(vi) समाजः एक हितधारक के रूप में समाज, जिसके पास अंततः सभी संसाधन हैं, स्वतंत्र निदेशकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है कि कंपनी अपने व्यवसाय को जिम्मेदारी से और सतत रूप से संचालित करे और सामाजिक गतिविधियों में धन का सर्वोत्तम तरीके से परिनियोजन करे। स्वतंत्र निदेशकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग/बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (जहां भी लागू हो) और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) दायित्वों के तहत निहित सिद्धांतों का कंपनी द्वारा अक्षरशः पालन किया जाए।

(vii) लेखा परीक्षकः लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, अवधारण, समाप्ति, पारिश्रमिक/प्रतिपूर्ति और नियुक्ति की शर्तों के लिए बोर्ड को सिफारिशें करनी होती हैं।

स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों और कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अखंडता की समीक्षा, चर्चा और इनपुट प्रदान करने के लिए अपना योगदान प्रदान करने की भी अपेक्षा की जाती है।

(viii) ग्राहकः किसी कंपनी में प्रत्येक लेन–देन उसके हितधारकों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। एक कंपनी जिसके पास अच्छा निगम अभिशासन और एक प्रभावी बोर्ड है, अपने ग्राहकों को गुणवत्ता वाले उत्पाद/सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होगी। बोर्ड स्तर पर मजबूत निर्णय लेने का कौशल ग्राहकों और व्यापार भागीदारों के लिए मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने वाली कंपनी के नैतिक आचरण को बनाए रखता है। यदि कंपनी के सर्वोच्चशासी निकाय पर स्वतंत्र प्रतिनिधित्व अधिक होगातो ग्राहकों का विश्वास भी अधिक होगा।

(ix) विक्रेताः अनुभवी और अच्छी तरह से योग्य स्वतंत्र निदेशकों वाला बोर्ड मूल्य श्रृंखला भागीदारों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है और बदले में उनके समग्र विकास और बेहतर प्रतिष्ठा के लिए योगदान दे सकता है। स्वतंत्र निदेशकों को हितधारक के मूल्य और कल्याण को अधिकतम करने के लिए कंपनी के पास उपलब्ध कौशल, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए।

स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और कार्य

(i) विशेष रूप से रणनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानकों के मुद्दों पर बोर्ड के विचार विमर्श के लिए एक स्वतंत्र निर्णय लाने में मदद करनाः

(iii) सभी हितधारकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करनाः
(iv) हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करनाः
(v) प्रबंधन और शेयरधारक के हितों के बीच संघर्ष की स्थितियों में, समग्र रूप से कंपनी के हित में संयम और मध्यस्थता करना।

स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य

(i) निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में, जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं, रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लेनाः
(ii) कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करनाः
(iii) कंपनी और बाहरी वातावरण के बारे में स्वयं को अच्छी तरह से अद्यतन रखनाः

(iv) अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट करनाः
(v) अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करना, कंपनी, शेयर धारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा में सहायता करनाः
(vi) वाणिज्यिक रहस्यों, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाओं, प्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी सहित गोपनीय जानकारी का खुलासा न करनाः

अंत में, निगम अभिशासन के उद्देश्यों को स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किए बिना प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता है। भारतीय कंपनियों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, जिसे अब विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जिनमें से स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक बड़ी भूमिका एक स्वागत योग्य बदलाव है। स्वतंत्र निदेशकों ने निगम अभिशासन की लोकप्रियता में वृद्धि की है और कई कॉर्पोरेट घोटालों के बाद नियामक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र निदेशक आवश्यक पेशेवर विशेषता लाते हैं क्योंकि वे व्यवसाय चलाने में व्यापक अनुभव वाले व्यक्ति हैं, साथ ही साथ यह तथ्य भी है कि वे अन्य कंपनियों के निदेशक मण्डल में बैठते हैं, जिसका अर्थ है कि वे नवीनतम घटनाओं पर अद्यतित हैं। मजबूत निगम अभिशासन स्थापित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड उचित और तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम है, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

सचिन अग्रवाल
(कंपनी सचिव)

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) 3 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	परिपत्र	Circulars
4.	नियम	Rules
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/ Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियां	Licences
10.	निविदा प्रारूप	Tender Forms
11.	अनुज्ञा पत्र	Permits
12.	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13.	अधिसूचनाएं	Notifications
14.	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

समाज में पुलिस की भूमिका और महत्व

पुलिस हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने का काम सौंपा गया है। एक मजबूत और कुशल पुलिस एक अच्छी तरह से शासित, न्याय उन्मुख और प्रगतिशील समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हमारे लिए हमारे समाज में पुलिस की भूमिका और उसके महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

पुलिस बल का संगठन

पुलिस, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक उच्च संगठित और संरचित निकाय है जो कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। पुलिस संगठन एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। हमारे देश में, पुलिस को कई विशेष इकाइयों जैसे आपराधिक जांच विभाग, कानून व्यावस्था, यातायात पुलिस, आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), व राष्ट्रीय गार्ड आदि में विभाजित किया गया है।

पुलिस पदानुक्रम

पुलिस का नेतृत्व एक पुलिस आयुक्त या पुलिस प्रमुख द्वारा किया जाता है। वे विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी हैं। उनके अधीन अधिकारियों का एक पदानुक्रम है जो पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। रैंक और फाइल अधिकारी सड़कों पर गश्त करने और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

वे वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में काम करते हैं। पुलिस कानून की रक्षा के लिए होती है। समाज पुलिस के बिना सुरक्षित नहीं रह सकता है। पुलिस का गठन, नागरिकों की रक्षा और नियमों का पालन करवाने की दृष्टि से किया गया है। यदि पुलिस समाज की रक्षा ना करती, तो अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती।

पुलिस की भूमिका

पुलिस की प्राथमिक भूमिका नागरिकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना है। वे अपराध की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस को व्यक्तियों के संगठित निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो व्यवस्था बनाए रखने, कानूनों को लागू करने और गिरफ्तारी करने के लिए सशक्त है। पुलिस अनगिनत सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेती है। ऐसे ऑपरेशन जोखिम भरे होते हैं। पुलिस ऐसे मिशन को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देती है।

तथा कई–कई बार उन्हें गंभीर चोटें भी आती हैं। अचानक आए गम्भीर मामलों को सुलझाने के लिए पुलिसकर्मी कई दिनों तक अपने घर भी नहीं जा पाती है।

कानून और व्यवस्था बनाएं रखना

पुलिस समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कानून को लागू करना और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं कि नागरिक सुरक्षित हैं।

अपराध को रोकना

पुलिस द्वारा निभाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक अपराध को रोकना है। वे संभावित अपराधियों की पहचान करने और उन्हें अपराध करने से रोकने के उपाय करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। वे लोगों को सुरक्षा और संरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं।

अपराध की जाँच

पुलिस द्वारा निभाई गई एक और महत्वपूर्ण भूमिका अपराध की जांच है। जब कोई अपराध होता है, तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह मामले की जांच करे और दोषियों को न्याय के दायरे में लाए। वे सबूत इकट्ठा करने और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करते हैं।

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे यातायात नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए राजमार्गों पर गश्त भी करते हैं कि वाहनों को सुरक्षित रूप से चलाया जाए।

पीड़ितों को सहायता प्रदान करना

पुलिस भी अपराध के पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है। वे एफआईआर दर्ज करने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श भी प्रदान करते हैं। समाज में बढ़ते हुए अन्याय को रोकना पुलिस का दायित्व है। पुलिस की ड्यूटी चौबीसों घंटे होती है, उन्हें हमेशा सक्रीय रहना पड़ता है। कभी–कभी आक्रामक धरनों में लोग पथराव करने पर उतर आते हैं। ऐसे में पुलिस भीड़ में इन पथराव को रोकती है और सुनिश्चित करती है कि किसी को चोट ना लगे। ऐसी गंभीर स्थिति में उन्हें घायल भी होना पड़ता है। चाहे कोई भी त्योहार हो पुलिस को हमेशा अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। भारत में कई बार एक संगठन दूसरे का धर्म, जाति के आधार पर शोषण और दुर्व्यवहार करता है। देश का कानून जो भी व्यक्ति तोड़ता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।

निष्कर्ष

समाज अगर आज सुरक्षित है तो उसका श्रेय पुलिस को जाता है। अगर पुलिस अपना काम सटिक करेगी, तो समाज अपराध मुक्त हो पायेगा। लोगों का उन पर विश्वास बना रहे और पुलिस सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे तो एक शांतिपूर्ण, अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।

आजकल कई जगहों पर कुछ पुलिसकर्मी पैसे कमाने के लिए रिश्वत लेते हैं और अपराधियों का साथ देते हैं। ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से समस्त पुलिस प्रशासन का नाम खराब होता है। इससे लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। लोगों का कानून और पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की है।

जैसे सीमा पर तैनात फौज हमेशा हमारी सुरक्षा करती है, उसी प्रकार समाज की आंतरिक सुरक्षा का काम पुलिस करती है। पुलिस का कार्य जिम्मेदारी से भरा होता है। एक भी चूक भारी पड़ सकती है। समाज में नियमित रूप से कानून बनाये रखना पुलिस का परम कर्तव्य है। अतः समाज को हमेशा उनके योगदान को याद रखना चाहिए और हमें सुरक्षित रखने के उनके प्रयासों में उनका समर्थन करना चाहिए।

अंजनी जसवाल
वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी (निगम कार्यालय)
एवं सेवानिवृत्त उप पुलिस अधिक्षक (हि.पु.से.)

हमारा गौरव - स्मारक सिक्के

क्र०सं०	सिक्कों का नाम	
1.	फतेहगढ़ के श्री राम चन्द्र जी की 150वीं जयंती मूल्यवर्गः रूपय 150 वर्षः 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल, मुबंई	
2.	श्री अरबिंदो की 150वीं जंयती मुल्यवर्गः रूपये 150 वर्षः 2022 टकसालः भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	
3.	राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 वर्ष मूल्यवर्गः रूपये 75 वर्ष 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल, मुंबई	
4.	प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष मूल्यवर्गः रूपये 75 वर्षः 2023 टकसाल भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	
5.	मन की बात की 100वां एपिसोड मूल्यवर्ग रूपयेः 100 वर्ष 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	
6.	नए संसद भवन का उद्घाटन मूल्यवर्गः रूपये 75 वर्ष 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	

7.	बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मूल्यवर्ग रूपये 75 वर्षः 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल, मुबंई	
8.	केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का हीरक जंयती वर्ष। मूल्यवर्गः रूपये 60 वर्षः 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल कोलकाता	
9.	राजा राम मोहन राय की 251वीं जंयती। मूल्यवर्गः रूपये 250 वर्षः 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस– ऑपरेशन शक्ति की 25वीं वर्षगांठ मूल्यवर्गः रूपये 100 वर्षः 2023 टकसालः भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	
11.	भारत की जी–20 अध्यक्षता मूल्यवर्गः रूपये 100 वर्षः 2023 टकसाल भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	
12.	भारत की जी–20 अध्यक्षता मूल्यवर्गः रूपये 75 वर्षः 2023 टकसाल भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	

अमित कुमार
प्रबंधक (तकनीकी)

ये स्मारक सिक्के एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट (www.spmcil.com) से ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए फोन : 011–43582200, 40580035, पर संपर्क करें।

विविध गतिविधियां

एसपीएमसीआईएल में नए भर्ती किए गए कार्यपालकों के लिए 21 से 30 जुलाई, 2022 तक हैदराबाद में दस दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन

एसपीएमसीआईएल में नए भर्ती किए गए कार्यपालकों के लिए 21 से 30 जुलाई, 2022 तक हैदराबाद में 10–दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसपीएमसीआईएल की अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक सुश्री तृप्ति पात्रा घोष द्वारा श्री एस. के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) की गरिमामयी उपस्थिती में किया गया।

भारत सरकार टकसाल, मुम्बई में दिनांक 19.01.2023 व 20.01.2023 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन एवं संयुक्त हिन्दी कार्यशाला

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय तथा इसके नियंत्रण की 09 इकाइयों के राजभाषा अधिकारियों एवं अनुवादकों के लिएं दिनांक 19.01.2023 व 20.01.2023 को एक दिवसीय राजभाषा सम्मेलन एवं संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार टकसाल, मुम्बई में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एस. के. सिन्हा, निदेशक (मा.सं.), एसपीएमसीआईएल द्वारा की गई। कार्यक्रम में भारत सरकार टकसाल, मुम्बई के मुख्य महाप्रबंधक सहित महाप्रंबधक (तकनीकी प्रचालन) तथा इकाई के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा राजभाषा संवर्ग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय सिक्का मेला 2022 में एसपीएमसीआईएल की भागीदारी

एसपीएमसीआईएल ने 16 से 18 सितंबर, 2022 तक सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिक्का मेला 2022 में भाग लिया गया। एसपीएमसीआईएल द्वारा स्टाल नंबर एम–07, हॉल ए, मरीना बेसैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर, सिंगापुर में भारतीय स्मारक सिक्कों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया।

नवरात्रि के अवसर पर माता शेरावाली स्मारक सिक्का जारी किया गया

नवरात्रि के अवसर पर, भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने दिनांक 27.09.2022 को पहली बार माता शेरांवाली विषय पर 999 शुद्धता वाला 40 ग्राम का इन–हाउस डिजाइन, रंगीन चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया।

पैकेज में माता दुर्गा के नौ अवतारों एवं उनके उद्देश्य के बारे में विवरण देने वाली पुस्तिका भी शामिल है। इसके अलावा, यह पुस्तिका नवरात्रि पूजा से संबंधित गतिविधियों और पूजा भजन का संकलन है।

निगम कार्यालय में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

निगम कार्यालय में 14.09.2022 से 29.09.2022 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े का उद्घाटन सूरत, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया। इस दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन में निगम कार्यालय एवं इकाइयों के कार्मिकों द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई। निगम कार्यालय में हिन्दी पखवाड़े का समापन दिनांक 29.09.2022 को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह को सम्पन्न किया गया जिसमें अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदया द्वारा निदेशक (मा.सं.), निदेशक (वित्त) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में निगम की गृह–पत्रिका **"अभिव्यक्ति"** के तीसरे अंक का विधिवत विमोचन किया गया। इस समारोह में प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को भी पुरस्कार वितरित किए गए।

भारत सरकार टकसाल, कोलकाता द्वारा टी 20 विश्व कप के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया

भारत सरकार टकसाल, कोलकाता (एसपीएमसीआईएल की एक इकाई) द्वारा दिनांक 21.10.2022 को टी 20 विश्व कप विषय पर इन–हाउस डिजाइन किए चांदी की 999 शुद्धता वाले 40 ग्राम, 44 मी.मी व्यास का रंगीन चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया गया।

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय के निर्माण हेतु आबंटित भूमि पूजन

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के निगम कार्यालय के निर्माण के लिए आबंटित भूमि प्लॉट संख्या 2 एवं 3, माता सुंदरी मार्ग, नई दिल्ली – 110002 का पूजन दिनांक 14 जनवरी, 2023 को सुश्री तृप्ति पात्रा घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के कर कमलों द्वारा श्री सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन), श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं श्री विनय कुमार सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिती में किया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

सीएसआर कार्यों के लिए पुरस्कार

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एसपीएमसीआईएल को निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत दिनांक 29 नवंबर, 2022 को अशोका हॉल, मानक शॉ सेंटर, दिल्ली कैंट में आयोजित शस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के अवसर पर सैनिकों के कल्याण के लिए रुपये एक करोड़ का योगदान देने के लिए सम्मानित किया। एसपीएमसीआईएल की ओर से यह सम्मान श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) और श्री ज्ञान प्रकाश, सयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा प्राप्त किया गया।

एसपीएमसीआईएल को 15 फरवरी, 2023 को मुंबई में 'वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस' के 31 वें संस्करण में 'सर्वश्रेष्ठ सीएसआर कार्यों के लिए पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार श्री बी.जे गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा प्राप्त किया गया।

सीएसआर पहल के तहत प्रदान की गई ईको वैन

सुश्री तृप्ति पात्रा घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, एसपीएमसीआईएल द्वारा सीएसआर पहल के तहत दिनांक 09.09.2022 को अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित नेत्रहीन विद्यालय के लिए ईकोवैन प्रदान की गई। इस दौरान श्री एस. के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) एवं श्री बी.जे. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) भी उपस्थित रहे। दिनांक 14 फरवरी, 2023 को एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय में श्री एस. के. सिन्हा, निदेशक (मा. सं.) और श्री बी.जे. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.), एसपीएमसीआईएल की गरिमामयी उपस्थिति में एसपीएमसीआईएल की सीएसआर पहल के तहत आदर्श गांव – सिरोलिया, जिला – देवास, मध्य प्रदेश में सामाजिक विकास के लिए रू. 525.49 लाख की लागत की परियोजनाएं आरम्भ की।

विश्व बैंक नोट शिखर सम्मेलन- 2023

श्री एस. के. सिन्हा, निदेशक (मा.सं.), एसपीएमसीआईएल द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2023 को एंटवर्प, बेल्जियम में आयोजित विश्व बैंकनोट शिखर सम्मेलन–2023 में मुद्रा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबन्धित विषय पर सम्बोधन दिया गया।

यह वार्षिक शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां वैश्विक बैंकनोट समुदाय के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर करेंसी (बैंक नोट) निर्माण आदि से संबन्धित वर्तमान और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। एसपीएमसीआईएल के निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा विश्व बैंकनोट शिखर सम्मेलन–2023 को संबोधित किया गया।

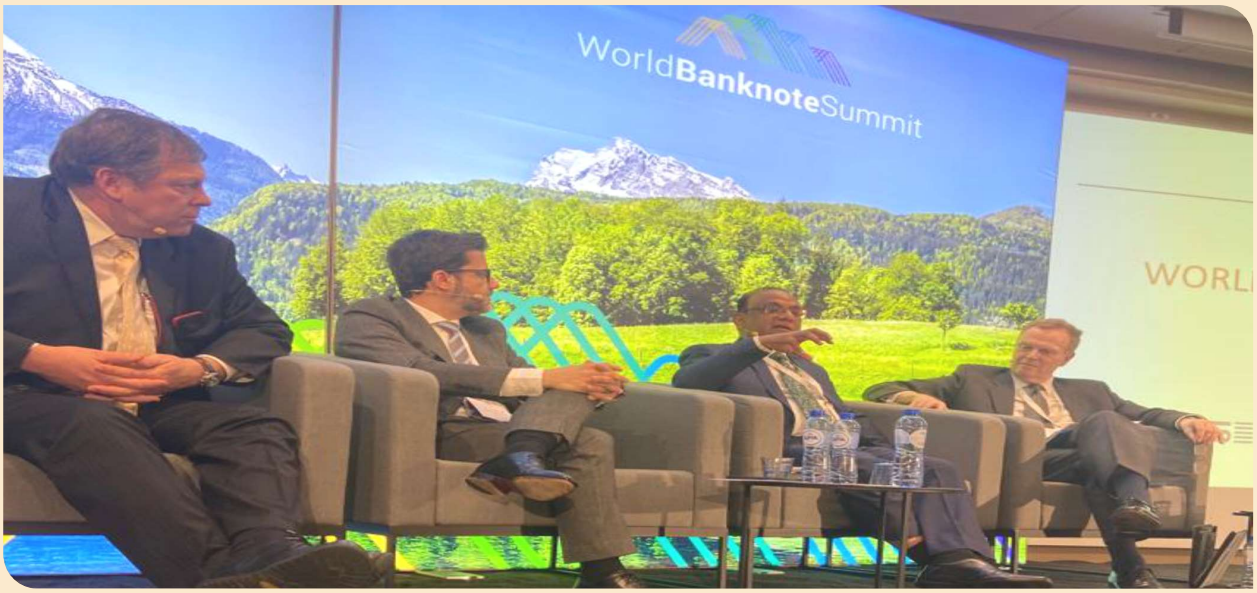

शिखर सम्मेलन में बैंकनोट में अपनी परख रखने वाले इस उद्योग के विशेषज्ञों तथा व्यापार विशेषज्ञों द्वारा भागीदारी की गई।

श्री सिन्हा ने "संगठन की सफलता में मानव संसाधन की भूमिका" पर अपने विचार रखे। जिसे उपस्थित विशिष्ट प्रतिभागियों द्वारा खूब सराहा गया।

नराकास स्तरीय राजभाषा उत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में दो दिवसीय "राजभाषा उत्सव" का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती अंशुली आर्या, आईएएस, माननीया सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 एवं 2 मार्च, 2023 को दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, श्री एम. नागराज, अध्यक्ष, नराकास, सुश्री तृप्ति पी. घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, एसपीएमसीआईएल, श्री एस के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन), एसपीएमसीआईएल तथा आयोजन में सहयोगी कार्यालयों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

यह आयोजन एसपीएमसीआईएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीजीसी लिमिटेड, होटल द अशोक तथा ग्रिडकंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की भागीदारी से किया गया। आयोजन में 49 कार्यालयों के लगभग 250 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस उत्सव में प्रो. संजय द्विवेदी, महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, श्री सुमित अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार, श्री अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण ने अपने संबोधन से सभी प्रतिभागियों के मध्य राजभाषा के प्रति चेतना जागृत की। दूसरे दिन के सत्र में श्री अजय कुमार तोमर, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, सूरत, डॉ. परेश सक्सेना आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक एवं प्रशिक्षण), डॉ. कुंदन यादव, आईआरएस, अपर आयुक्त, सीजीएसटी कार्यालय चंडीगढ़ तथा श्री अशोक कुमार, सदस्य सचिव, नराकास (संचालक) द्वारा अपना प्रेरणादायी संबोधन दिया गया। दो दिवसीय उत्सव का मंच संचालन श्री नरेश कुमार, एसपीएमसीआईएल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में नया आगाज 'होली के रंग– पुष्प वर्षा के संग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई।

एनसीसी के लिए जारी किया गया स्मारक सिक्का

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2023 को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसीपीएम रैली को संबोधित किया गया। इस वर्ष एनसीसी अपना 75 वां स्थापना वर्ष मना रहा है।

आयोजन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और रु.75/– मूल्यवर्ग का विशेष रूप से निर्मित स्मारक सिक्का जारी किया जिसका निर्माण एसपीए मसीआईएल द्वारा किया गया।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में दिनांक 12.04.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक

राजभाषा कार्यों में नई पहल के रूप में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों की सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2023 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय सहित सभी नौ इकाइयों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड तथा राष्ट्रीय बचत संस्थान के राजभाषा अधिकारी शामिल रहे।

इस बैठक में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा, हिन्दी पत्राचार में वृद्धि के उपाय, कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन, वार्षिक राजभाषा सम्मेलन का आयोजन, अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण, मंत्रालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड देने संबंधी योजना आदि पर विचार–विमर्श किया गया।

एक्सएल – शॉर्टकट की

Excel

SHORTCUT WITH ALT KEYS	
ALT+F1	INSERT CHART
ALT+F2	SAVE AS
ALT+F4	EXIT
ALT+F8	MACRO DIALOG BOX
ALT+F11	VISUAL BASIC EDITOR
ALT+TAB	CYCLE APPLICATIONS
ALT + =	AUTOSUM
ALT + '	FORMAT STYLE DIALOG BOX
INSERT	TOGGLE INSERT MODE
DELETE	DELETE
HOME	MOVE TO BEGINNING OF LINE
END	MOVE TO END OF LINE
PAGE UP	PAGE UP
PAGE DOWN	PAGE DOWN
LEFT ARROW	LEFT
RIGHT ARROW	RIGHT
UP ARROW	UP
DOWN ARROW	DOWN
TAB	INDENT
ENTER	NEXT CELL
BACKSPACE	DELETE PREV CHAR

SHORTCUT WITH ALT & CTRL KEYS	
ALT+A	GO TO THE DATA TAB
ALT+F	OPEN THE FILE MENU
ALT+H	GO TO THE HOME TAB
ALT+M	GO TO THE FORMULA TAB
ALT+N	GO TO THE INSERT TAB
ALT+P	GO TO THE PAGE LAYOUT TAB
ALT+W	GO TO THE VIEW TAB
ALT+H, A, C	CENTER ALIGN CELL CONTENTS
ALT+H, D, C	DELETE COLUMN
ALT+H, H	CHOOSE A FILL COLOR
CTRL + END	GO TO THE END OF A DOCUMENT
CTRL+SHIFT+>	INCREASE SELECTED FONT +1
SHIFT + INS	PASTE THE SELECTED ITEM
CTRL+SHIFT+F	CHANGE THE FONT
CTRL + INS	COPY THE SELECTED ITEM
CTRL + DEL	CUT SELECTED ITEM

A TO Z EXCEL SHORTCUT	
CTRL + A	SELECT ALL CELL
CTRL + B	BOLD
CTRL + C	COPY
CTRL + D	FILL DOWN
CTRL + E	FLASH FILL
CTRL + F	FIND
CTRL + G	GO TO SPECIAL
CTRL + H	FIND & REPLACE
CTRL + I	ITALIC TEXT
CTRL + J	NA
CTRL + K	INSERT HYPERLINK
CTRL + L	CREATE TABLE
CTRL + M	NA
CTRL + N	NEW WORKBOOK
CTRL + O	OPEN FILE
CTRL + P	PRINT
CTRL + Q	DATA ANALYSIS TOOL
CTRL + R	FILL DUPLICATE RIGHT
CTRL + S	SAVE WORKBOOK
CTRL + T	CREATE TABLE
CTRL + U	UNDERLINE TEXT
CTRL + V	PASTE
CTRL + W	CLOSE WORKBOOK
CTRL + X	CUT
CTRL + Y	REDO
CTRL + Z	UNDO
CTRL + 0	HIDE COLUMNS
CTRL + 1	FORMAT CELLS DIALOG BOX
CTRL + 2	BOLD
CTRL + 3	ITALIC
CTRL + 4	UNDERLINE
CTRL + 5	STRIKETHROUGH
CTRL + 6	SHOW/HIDE OBJECTS
CTRL + 7	SHOW/HIDE STANDARD TOOLBAR
CTRL + 8	TOGGLE OUTLINE SYMBOLS
CTRL + 9	HIDE ROWS
CTRL + -	DELETE
CTRL + +	INSERT
CTRL + `	TOGGLE VALUE/FORMULA DISPLAY

FUNCTION KEY SHORTCUTS	
F1	HELP
F2	EDIT
F3	PASTE NAME
F4	REPEAT LAST ACTION
F5	GOTO
F6	NEXT PANE
F7	SPELL CHECK
F8	EXTEND MODE
F9	RECALCULATE ALL WORKBOOKS
F10	ACTIVATE MENUBAR
F11	NEW CHART
F12	SAVE AS
SHIFT+F1	WHAT'S THIS?
SHIFT+F2	EDIT CELL COMMENT
SHIFT+F3	PASTE FUNCTION INTO FORMULA
SHIFT+F4	FIND NEXT
SHIFT+F5	FIND
SHIFT+F6	PREVIOUS PANE
SHIFT+F8	ADD TO SELECTION
SHIFT+F9	CALCULATE ACTIVE WORKSHEET
SHIFT+F10	DISPLAY SHORTCUT MENU
SHIFT+F11	NEW WORKSHEET
SHIFT+F12	SAVE
SHIFT+TAB	TO MOVE TO THE PREVIOUS CELL
TAB	TO MOVE TO THE NEXT CELL
CTRL + ;	TO INSERT THE CURRENT DATE

SHORTCUT WITH CTRL KEYS	
CTRL+F3	NAME MANAGER
CTRL+F4	CLOSE
CTRL+F5	RESTORE DOWN
CTRL+F9	MINIMIZE WINDOW
CTRL+F10	RESTORE DOWN / MAXIMIZE WINDOW
CTRL+F11	INSET 4.0 MACRO SHEET
CTRL+F12	OPEN FILE
CTRL+SPACE	TO SELECT THE ENTIRE COLUMN
CTRL+SHIFT+9	TO UNHIDE SELECTED ROW
SHIFT + SPACE	TO SELECT THE ENTIRE ROW
CTRL+ENTER	LINE BREAK

प्रशांत बिष्ट
पर्यवेक्षक (आर.एम.)

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निगम इकाइयों का निरीक्षण

भारत सरकार टकसाल, मुबंई - दिनांक 07/10/2022

भारत सरकार टकसाल, नोएडा - दिनांक 17/04/2023

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम 2) के तत्वावधान में दिनांक 1 एवं 2 मार्च, 2023 को आयोजित "राजभाषा उत्सव"

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
मिनीरत्न श्रेणी- I, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110004
वेबसाइट : www.spmcil.com फोन :+91-11-23701225-26, 43582200 | फैक्स : +91-11-2370122